संख्याः 1991/9–आ–3–97–105 काम्प/97

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 29 नवम्बर, 1997

विषय, नगरों में शमनयोग्य अनाधिकृत निर्माण को न गिराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नगरों के नियोजित विकास की दृष्टि से अतिक्रमण को हटाने व अनधिकृत निर्माण को रोकने/हटाने की कार्यवाही विशेष अभियान चलाकर वर्तमान में विकास प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों द्वारा की जा रही हैं। शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आये हें कि जो अनाधिकृत निर्माण महायोजना एवं बाई–लाज के अनुसार शमन योग्य है, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों द्वारा ऐसे सभी निर्माणकर्ताओं को जिनके अनाधिकृत निर्माण शमनीय हों, उन्हें सामान्य (पब्लिक) नोटिस जारी की जाय। इस नोटिस में एक निश्चित समय (2–3 सप्ताह का) देते हुए उन्हें सूचित किया जाये, कि वे इस अवधि में शमन उपविधियों के अनुसार शमन शुल्क का स्वनिर्धारण करते हुए ऐसी धनराशि प्राधिकरण के इंगित खाते में जमा कर शमन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें, और तदोपरान्त उनके शमन प्रार्थना–पत्र एक माह में निस्तारित कर दिया जाये। जो निर्माणकर्ता निर्धारित समय के अन्दर आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा स्व–निर्धारित शमन धनराशि जमा नही करते हैं उनके विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय। 100 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदन करते समय आर्किटेक्ट काउंसिल आफ इण्डिया के पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत प्रामण–पत्र भी लिया जाय कि जमा की गई निर्धारित शमन धनराशि शमन उपविधि अनुसार है। यदि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई अनधिकृत निर्माण शमन योगय न हो तो उसका ध्वस्तीकरण नियमानुसार किये जाने पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है।

2. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

पृष्ट संख्याः 1991(1)/9–आ–3–97, तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

पी. एन. सिंह
अनुसचिव